

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 55]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 जनवरी 2014—माघ 9, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2014

क्र. एफ-ए-6ए-68-2010-1-पांच (02).—मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, 1995 (क्रमांक 16 सन् 1995) की धारा 2 के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-6(ए)-68-2010-1-पांच(28), दिनांक 1 अप्रैल 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी में, अनुक्रमांक 5 के सामने कॉलम (3) में, शब्द "राजस्व जिला भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं जबलपुर को अपवर्जित करते हुए" का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2014

क्र. एफ-ए-6(ए)-68-2010-1-पांच(02).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-6(ए)-68-2010-1-पांच (02), दिनांक 29 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रसारित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामेश्वर मिश्रा, उपसचिव.

Bhopal, the 29th January 2014

No. F-A-6A-68-2010-1-V (02).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Section 2 of the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhiniyam, 1995 (No. 16 of 1995), the State Government, hereby, makes the following amendment in this Department's Notification No. F. A-6(A)-68-2010-1-V-(28), dated 1st April 2011, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, in column (3) against serial number 5, the words “excluding Revenue District Bhopal, Gwalior, Indore and Jabalpur” shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAMESHWAR MISHRA, Dy. Secy.